न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 16/2017 तारीख रजू:– 20.02.2017

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. गिर्राज पुत्र रूगनाथ उर्फ रघुनाथ जाति गुर्जर निवासी जेवर पट्टी ग्राम पंचायत करसौली तहसील हिण्डौन – मृतक

1/1. लटूरया	पिसरान गिर्राज	जाति गुर्जर निवासी जेवर पट्टी
1/2. बदनसिंह		ग्राम पंचायत करसौली तहसील हिण्डौन
1/3. उदय		जिला करौली राजस्थान
1/4. केशन्ती पुत्री गिर्राज		

2. पन्ना | पिसरान रूगनाथ उर्फ रघुनाथ जाति गुर्जन निवासी जेवरपट्टी
3. प्यारे | ग्राम पंचायत करसौली तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ——— सायलान

बनाम

1. तहसीलदार, तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ——— गैरसायल

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः–1. श्री संजय कुमार शर्मा एडवोकेट सायलान

निर्णय दिनांक :–24.04.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायल पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि सम्मानीय अदालत में सायलान ने गैरसायल व दावे के प्रतिवादी नं01 ता 3 के विरूद्ध उपरोक्त उनवानी दावा बाबत् घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर दिया है, जिसमें सफलता मिलने की पूर्ण उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि रेवन्यू अधिकारीण द्वारा सायलान के पिता रुगनाथ पुत्र गैन्दा जाति गुर्जर निवासी जेवरपटटी ग्राम पंचायत करसौली तहसील हिण्डौन को कृषि भूमि साविक खसरा नं. 206 मिन वाके राम खौहरा घुसैटी में से 10 विस्वा भूमि का नियमन दिनांक 19.12.65 को मिसिल नं. 1437 नामांन्तकरण नं.179 के तहत किया गया था। उक्त नियमन की गयी भूमि को सायलान के पिता रुगनाथ व सायलान तब से यानि दिनाक 19.12.65 से अब तक लगातार रूप से काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त भूमि को सायलान ने अपने पिता रूगनाथ के जमाने से चारों तरफ से समतल कर लाखों रूपये खर्च कर काबिल काश्त बनाया है तथा चारों तरफ से डौल–मेड से महदूद कर रखा है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि रेवन्यू अधिकारीगण ने सायलान के पिता रूगनाथ को अलौट (नियमित) की गयी उक्त भूमि का नामांन्तकरण नं. 179 पटवारी हल्का द्वारा भरा जाकर गिरदावर द्वारा दिनांक 13. 09.77 को तुलना कर दिनांक 14.10. 77 को संरपच ग्राम पंचायत करसौली/खौहरापुसेटी ने तस्दीक किया है। जिससे सायलान के पिता रुगनाथ के हक में उक्त भामान्तकरण नं. 179 के जरिये गैरखातेदारी से खातेदारी में इंन्द्राज करने का आदेश पारित किया गया है। तथा जमाबंन्दी संम्वत 2036 से 2039 में उक्त भूमि खसरा नं. 206 मिन रकवा 10 विश्वा की खातेदारी इंन्द्राज उपयलान के पिता रूगनाथ के हक में दर्ज हो रहे हैं। इसके बाद तहसील हिण्डौन में भू–प्रबंन्ध आपरेशन प्रारम्भ हो गये तो राजस्व रिकार्ड भू–प्रबंध्य अधिकारीगण के पास चला गया जिसमें भू–प्रबंन्ध अधिकारीगण ने सायलान के पिता रूगनाथ के खातेदारी इंन्द्राज को गुपचुप पोशीदा तरीके से बिना सुने समाप्त कर दिया। जबकि भू–प्रबंन्ध विभाग को एक्जिस्टिंग इंन्द्राज में हेरा–फेरी करने का अधिकार नहीं है। सायलान के पिता रुगनाथ की खातेदारी की उक्त भूमि को नवीन खसरा नं. 674 रकवा 1.3900 हैक्टेयर गैरमुमकिन नाला में मिला दिया। उक्त भूमि गैरमुमकिन नाले की भूमि नहीं है। जबकि सायलान के पिता उक्त भूमि को वहैसीयत खातेदार काश्तकार लगातार रूप से शांन्तिपूर्वक काश्त करते चले

आ रहे हैं। भू–प्रबंन्ध अधिकारीगण द्वारा अवैध रूप से की गयी उक्त कार्यवाही का पता सायलान से पैनल्टी वसूली की कार्यवाही से हुआ। उससे पूर्व सायलान को भूप्रबंन्ध विभाग व रेवन्यू अधिकारीगण द्वारा उक्त अवैध किये गये इंन्द्राज का पता नहीं चला। इसके बाद सायलान द्वारा राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर सम्पूर्ण इल्म हुआ। उक्त गलत इंन्द्राज को सही कराने व सायलान के पिता रुगनाथ की खातेदारी में इंन्द्राज करने बावत सायलान ने गैरसायल तहसीलदार हिण्डौन व अन्य अधिकारीगण को दिनांक 13.12.16 को कहा तो इंन्कार हो गये तथा सायलान को विवादित भूमि से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी दी है तथा पैनल्टी वसूलने पर आमादा है। जिससे सायलान के अधिकारों का हनन हुआ है। सायलान ने अपने वकील श्री कन्हैयालाल शर्मा एडवोकेट की मार्फत दावा दायरी से पूर्व दिनाँक 13.12.16 को दफा–80 जा.दी. के तहत जिला कलेक्टर करौली को नोटिस भी दे दिया है। बावजूद नोटिस विवादित भूमि की खातेदारी क सायलान अभी तक नहीं की गयी है। इसलिये दावा तथा प्रार्थना पत्र हाजां पेश करना लाजिम आया है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि सायलान के पिता रूगनाथ फौत हो चुके हैं। सायलान रूगनाथ के कानूनी वारिस पुत्रगण हैं। इसलिये रुगनाथ के वारिसान की ओर से दावा तथा प्रार्थना पत्र हाजा दायर किया गया है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि उक्त परिस्थितियों में प्रथम दृष्टया फेस सुविधा का संतुलन तथा अतुल्य क्षति का सिद्धांन्त सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिये गैरसायल को जरिये टी.आई पाबंन्द करना निहायत ही जरूरी है। गैरसायल को यदि टी. आई से पार्बन्द नहीं किया गया तो सायलान को अपूर्त हानि होगी। जिसकी क्षति–पूर्ति किसी भी प्रकार संभव नहीं है।

अतः प्रार्थना ष्मत्र हाजा पेश कर अर्ज है कि दौराने दावा गैरसायल तहसीलदार जी हिण्डौन को जरिये टी. आई पाबन्द किया जावे कि विवादित भूमि साविक खसरा नं. 206 मिन रकवा 10 विश्वा नवीन खसरा नंम्बर 674 के रकवा

13 ऐयर (जिस पर सायलान का कब्जा है) वाके ग्राम खोहरा–घुसैटी तहसील हिण्डौन से सायलान को बेदखल ना करें। सायलान को शांन्तिपूर्वक काश्त करते रहने देवें। तथा सायलान से पैनल्टी वसूल ना करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 09.04.2026 को गैरसायल को बार–बार आवाज दिलाने के उपरान्त भी गैरसायल व उनके प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए इसलिए गैरसायल के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल नामान्तकरण सं0 179 निर्णित दिनांक 14.10.1977, फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074, फोटो प्रति नकल नक्शा सीट साबिक व हाल, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सम्वत 2036–39, पेश किये हैं।

वकील सायलान उपस्थित। वकील सायलान की एकपक्षीय बहस सुनी गई।वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील सायलान की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल नामान्तकरण सं0 179 निर्णित दिनांक 14.10.1977 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 206 रकबा 8 बिस्वा वाके ग्राम खोहरा घूसेटी तहसील हिण्डौन का रूगनाथ पुत्र गैंदा कौम गूजर सा0देह गैरखातेदार के स्थान पर रूगनाथ पुत्र गैंदा कौम गूजर सा0देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है अर्थात उक्त नामान्तकरण गैरखातेदारी से खातेदारी का भरकर तस्दीक किया गया है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सम्वत 2036–39 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 206 मिन रकबा 10 बिस्वा वाके ग्राम खोहरा घूसेटी तहसील हिण्डौन की खातेदारी रघुनाथ पुत्र गैंदा जाति गूजर निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बरान के निम्नानुसार नवीन खसरा नम्बरान कायम किये गये :—

हाल खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर में	साबिक खसरा नं0	रकबा
674	1.39	206 मिन	—

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071—2074 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 674 रकबा 1.39 है0 किस्म गै0मु0 नाला वाके ग्राम खोहरा घूसेटी तहसील हिण्डौन की खातेदारी सरकारी सिवायचक भूमि नदियॉ तथा नाले की भूमि है।

फोटो प्रति नकल नक्शा सीट साबिक में खसरा नम्बर 206 काफी बडा रकबा का है। जिसमें सायलान के पिता रूगनाथ उर्फ रघुनाथ की खातेदारी की भूमि साबिक खसरा नम्बर 206 रकबा 10 बिस्वा का कोई बटा नम्बर कायम नहीं किया हुआ है। जिसके अभाव में यह स्पष्ट नहीं होता है कि साबिक खसरा नम्बर 206 रकबा 10 बिस्वा वाके ग्राम खोहरा घूसेटी को हाल खसरा नम्बर 674 में मिला दिया गया हो।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि साबिक खसरा नम्बर 206 रकबा 10 बिस्वा वाके ग्राम खोहरा घूसेटी को हाल खसरा नम्बर 674 में मिला दिया गया हो अर्थात साबिक खसरा नम्बर 206 रकबा 10 बिस्वा का हाल खसरा नम्बर 674 दौराने सेटिलमेन्टन कायम किया गया हो यह तथ्य सायलान साबित करने में असफल रहे हैं। जबकि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी खसरा नम्बर 674 रकबा 1.39 है0 किस्म गै0मु0 नाला की खातेदारी सरकारी नदिया तथा नाले सिवायचक दर्ज रिकार्ड है। जिससे सायलान का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का होना सायलान के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजी सबूतों के आधार पर साबित नहीं होता है। इस प्रकार सायलान का प्रथमदृष्टया केस साबित नहीं है और ना सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में साबित है। पक्षकारान के अधिकार दावे में सुरक्षित हैं। ऐसे

हालात में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 206 रकबा 10 बिस्वा, हाल खसरा नम्बर 674 रकबा 1.39 है0 वाके ग्राम खोहरा घूसेटी तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 24/4/26
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली